

पटवारी रिपोर्ट
 जमा लोह्यास के खाता सं. 42/578 में जमा के पिता का नाम दर्ज नहीं है जिसे जमाबंदी
 दर्ज है। खाते के खाते सं. 578/475 में जमा पुत्र रामकरण जाति-दोली
 अतः जमा पुत्र रामकरण दर्ज किया जाना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट
 भू अभिलेख प्रमाणी एका जमा के दस्तावेज (किताब जमा)
 पुत्र रामकरण किया जाना उचित होगा।

तहसीलदार की रिपोर्ट
 मुताबिक रिपोर्ट पत्रा सं. भू. अ. निरी. खा. प्र. 1/10/25
 शिविर प्रभाषी
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद
 ग्राम पंचायत.....
 दिनांक.....

2025
 453

प्रमारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 25/09/2025

क्रमांक/162

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लोह्यास तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2069-72 के खाता संख्या 42/578 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	जमा पुत्र दि. 7/12 जाति दोली खातेदार शेष लदखर	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसार		जमा पुत्र रामकरण शेष लदखर	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसार	

क्रमांक:- 4977-78

दिनांक:- 25/09/2025

उत्तिलिपि:- 1. तहसीलदार नसीराबाद को पालना प्रमारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर
 2. औषध प्रदायिका